



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 516]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 26, 2007/अग्राहायणा 5, 1929

No. 516]

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 26, 2007/AGRAHAYANA 5, 1929

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 2007

सा.का. नि. 731 (अ)—पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 (2006 का 19) के खंड 61 के उप-खंड (2) की धारा (क) में वर्णित शक्तियों का प्रयोग करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड नामतः निम्नलिखित नियम बनाता है :

अध्याय 1

आरंभिक

1. संक्षिप्त शीर्ष और प्रारंभ : (1) इन नियमों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (बोर्ड की बैठकें) नियामक, 2007 कहा जाएगा ।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होंगे ।

2. परिभाषाएं : इन नियमों में जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, तब तक—

(क) "अधिनियम" का अर्थ है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 ।

(ख) "बोर्ड" का अर्थ है इस अधिनियम के खंड 3 के उप-खंड (1) के अधीन स्थापित पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड ।

(ग) "अध्यक्ष" का अर्थ है इस अधिनियम के खंड 4 के अंतर्गत नियुक्त बोर्ड का अध्यक्ष ।

(घ) "सदस्य" का अर्थ है इस अधिनियम के खंड 4 के अंतर्गत नियुक्त बोर्ड का सदस्य ।

(2) यहाँ पर प्रयुक्त अन्य वे सभी शब्द एवं अभिव्यक्तियाँ जिनको परिभाषित नहीं किया गया है उनका वही अर्थ होगा जो अधिनियम में दिया गया है ।

(3) जब तक इन नियमों में अथवा अधिनियम में परिभाषित न हो सामान्य धारा अधिनियम के समय-समय पर यथासंशोधित प्रावधान इन नियमों पर लागू होंगे ।

अध्याय II

बोर्ड की बैठकें

3. बोर्ड की बैठकें बुलाना.—(1) अध्यक्ष द्वारा अथवा उनका पद खाली होने से या उनके निदेशानुसार बोर्ड के वरिष्ठतम सदस्य द्वारा, जिसका निर्धारण बोर्ड में नियुक्ति की तिथि से होगा, वर्ष की प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार बोर्ड की बैठक बुलाई जाएगी ।

यह भी प्रावधान होगा कि सदस्यों की नियुक्ति की तिथि एक ही होने की स्थिति में आयु में वरिष्ठ सदस्य को दूसरे सदस्य से वरिष्ठ माना जाएगा ।

(2) अध्यक्ष को बैठक बुलाने के लिए किन्हीं दो सदस्यों की आवश्यकता होगी तथा तदनुसार अध्यक्ष कभी भी बोर्ड की बैठक बुला सकता है ।

4. बोर्ड की बैठकों की अध्यक्षता : अध्यक्ष या यदि अध्यक्ष किसी कारण से बैठक में उपस्थित नहीं है तो उपस्थित वरिष्ठतम सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेगा ।

5. बोर्ड की बैठक का स्थान एवं समय : बोर्ड की बैठक भारत में ऐसे स्थान एवं समय पर होगी जैसा कि बैठक बुलाने की सूचना में विनिर्दिष्ट किया गया है ।

6. बोर्ड की बैठक के लिए सूचना : (1) बोर्ड की प्रत्येक बैठक के लिए सचिव अथवा किसी अन्य अधिकारी द्वारा जिसे अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत किया गया हो, कम से कम 7 दिन की सूचना दी जाएगी तथा यह सूचना कार्यसूची के कागजात सहित सभी सदस्यों को कम से कम 7 दिन पूर्व परिचालित की जाएगी ।

यह भी प्रावधान है कि यदि बोर्ड की कोई आपातकालीन बैठक बुलाई जानी है तो 7 दिन की सूचना आवश्यक नहीं होगी । तथापि, सदस्यों को इतना पर्याप्त समय दिया जाएगा कि वह बैठक में भाग ले सकें ।

यह भी प्रावधान किया गया है कि सदस्यों को परिचालन के माध्यम से भी कोई संकल्प पारित किया जा सकता है अथवा कोई निर्णय लिया जा सकता है ।

(2) अध्यक्ष अथवा बैठक की अध्यक्षता करने वाले सदस्य और उपस्थित सदस्यों के बहुमत की सहमति के बिना बोर्ड की बैठक में उस कारोबार के अतिरिक्त जिसके लिए यह बैठक बुलाई गई है, किसी अन्य कारोबार पर चर्चा नहीं की जाएगी ।

7. आवश्यक कोरम और मतदान : (1) कारोबार के लेन-देन के लिए बोर्ड की किसी बैठक में अध्यक्ष अथवा उनकी अनुपस्थिति में बैठक की अध्यक्षता करने वाले सदस्य सहित तीन सदस्यों की उपस्थिति को कोरम माना जाएगा ।

(2) बोर्ड की किसी बैठक में प्रस्तुत सभी प्रश्न उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से तय किए जाएंगे तथा बराबर मत होने पर अध्यक्ष, अथवा उसकी अनुपस्थिति में बैठक की अध्यक्षता करने वाले सदस्य को दूसरा अथवा निर्णायक मत डालने का अधिकार होगा ।

8. अनुपस्थिति अवकाश : बैठक में अनुपस्थित किसी सदस्य को बोर्ड अनुपस्थिति अवकाश दे सकता है और इस प्रकार के अवकाश को बैठक के कार्यवृत्त में दर्ज दिया जाएगा ।

9. बैठक का कार्यवृत्त : (1) बोर्ड सभी बैठकों का कार्यवृत्त इस उद्देश्य हेतु रखी गई बही में रखेगा जिसे विधिवत क्रमांकित खुले पन्नों के बाइंडर के रूप में भी रखा जा सकता है ।

(2) बोर्ड की प्रत्येक बैठक के कार्यवृत्त की एक प्रति यथासंभव शीघ्र सदस्यों को परिचालित की जाएगी । कार्यवृत्त अध्यक्ष अथवा आगामी बैठक की अध्यक्षता करने वाले सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित की जाएगी तथा उसे उसके बाद अभिलेख पर रखा जाएगा ।

10. कार्यवृत्त बही, सामान्य मुहर आदि की अभिरक्षा : बोर्ड का सचिव सामान्य मुहर, बैठक का उपस्थिति रजिस्टर, कार्यवृत्त बही तथा बोर्ड की बैठक से संबंधित अन्य दस्तावेज/अभिलेख आदि की अभिरक्षा रखेगा ।

अध्याय III

सदस्यों की बाध्यताएं

11. कुछ मामलों में सदस्यों की सहभागिता का न होना : प्रत्येक सदस्य बोर्ड की किसी बैठक में विचारार्थ आने वाले ऐसे किसी मामले में जिसमें वह प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित है, इसकी जानकारी होते ही बोर्ड की ऐसी बैठक में अपने हित की प्रकृति का खुलासा कर देगा तथा इस प्रकार से खुलासे को बोर्ड की कार्यवाही में अभिलेखित किया जाएगा तथा ऐसे मामले के संबंध में सदस्य बोर्ड की किसी चर्चा या निर्णय में भाग नहीं लेगा ।

व्याख्या : इस नियामक में संदर्भित प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष में किसी सदस्य का स्वयं का या कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की खंड 6 की परिभाषा के अर्थ के दायरे में उसके किसी रिश्तेदार के माध्यम से अथवा उस कंपनी का भागीदार या निदेशक होना शामिल है ।

12. अयोग्यता की सूचना देने के लिए सदस्य की बाध्यता : (1) कोई भी सदस्य इस अधिनियम के खंड 7 में विनिर्दिष्ट किसी अयोग्यता का शिकार हो जाने पर यथाशीघ्र उसकी सूचना बोर्ड को देगा ।

(2) किसी सदस्य द्वारा उपर्युक्त (1) में वर्णित अयोग्यता को आकर्षित करने की स्थिति में बोर्ड इसकी सूचना केन्द्र सरकार को देगा ।

[एस. प्रशा./II/8/8007-खण्ड-I]

अजय त्यागी, सचिव

PETROLEUM AND NATURAL GAS REGULATORY BOARD

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th November, 2007

S.O. 731 (E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of Sub-section of (2) Section 61 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 (19 of 2006), the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board hereby makes the following regulations, namely :—

CHAPTER I PRELIMINARY

1. Short title and commencement.—(1) These regulations may be called The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Meetings of the Board) Regulations, 2007.

(2) These regulations shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—(1) In these regulations, unless the context otherwise requires,—

- (a) "Act", means the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006;
- (b) "Board", means the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board established under Sub-section (1) of Section 3 of the Act;
- (c) "Chairperson", means the Chairperson of the Board appointed under Section 4 of the Act;
- (d) "Member", means a Member of the Board appointed under Section 4 of the Act.

(2) All other words and expressions used herein but not defined shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act.

(3) Unless defined herein or in the Act, the provisions of the General Clauses Act, 1897 as amended from time to time shall apply to these regulations.

CHAPTER II

Meetings of the Board

3. Convening of Board meetings.—(1) Meetings of the Board shall be convened at least once in each quarter of the year by the Chairperson or in his absence on account of the post being vacant or as may be directed by him/her, by the senior most Member reckoned from the date of appointment to the Board :

Provided that in case of common date of appointment of Members, the Member senior in age shall be considered as senior to the other Members.

(2) Any two Members may require the Chairperson to convene a meeting of the Board at any time and the Chairperson shall convene the meeting of the Board accordingly.

4. Presiding over Board meetings.—The Chairperson or if he is unable to attend the meeting of the Board, for any reason, the senior most Member present shall preside over the meeting.

5. Place and time of Board meetings.—Meetings of the Board shall be held at such times and places in India as may be specified in the notice convening the meeting.

6. Notice for Board meetings.—(1) Not less than seven days notice shall ordinarily be given for each meeting of the Board by the Secretary (or any other Officer designated by the Chairperson) and such notice along with agenda papers shall be circulated to every Member, seven working days in advance :

Provided that if any emergency meeting of the Board is to be convened, seven days notice may not be required. However, sufficient notice shall be given to the Member to enable him to attend the meeting :

Provided further that a resolution may be passed or a decision may be taken by circulation of an agenda to the Members.

(2) No business other than that for which the meeting was convened shall be discussed at a meeting of the Board, except with the consent of the Chairperson or the Member presiding over the meeting and a majority of the Members present.

7. Quorum required and voting.—(1) Three Members of the Board including Chairperson or in his absence the Member presiding over the meeting, shall constitute the Quorum for transaction of business at a meeting of the Board;

(2) All questions which come before any meeting of the Board shall be decided by a majority vote of the Members present and voting and in the event of any equality of votes, the Chairperson, or in his absence, the Member presiding over, shall have a second or casting vote.

8. Leave of absence.—The Board may grant leave of absence to a Member not present in the meeting and such leave of absence shall be recorded in the minutes of the meeting.

9. Minutes of the meeting.—(1) The Board shall cause the minutes of all the meetings to be maintained in the books kept for the purpose, which may be in the form of binders containing loose leaves, duly numbered.

(2) A copy of the minutes of each meeting of the Board shall be circulated as soon as possible to the Members. The minutes shall be signed by the Chairperson or the Member presiding over the succeeding meeting, and taken on record thereafter.

10. Custody of the minutes book, common seal, etc.—Secretary of the Board shall keep custody of common seal, register of attendance of the meetings, minutes book, and other documents/records, etc. pertaining to the meetings of the Board.

CHAPTER III

Obligations of the Members

11. Member not to participate in meetings in certain cases.—Every Member, who is directly or indirectly concerned or interested in any matter coming up for consideration at a meeting of the Board, shall, as soon as possible, after the relevant circumstances have come to his knowledge, disclose the nature of his interest at such meeting and such disclosure shall be recorded in the proceedings of the Board and the Member shall not take any part in any deliberation or decision of the Board with respect to that matter.

Explanation.—The expression “directly or indirectly” referred to in this regulation shall include any concern or interest of a Member either by himself or through his relatives within the meaning of definition of Section 6 of the Companies Act, 1956 (I of 1956) or by reason of being a partner, director of that concern.

12. Obligation of a Member to give information of disqualification.—(1) A Member, as soon as may be, inform the Board if he becomes subject to any of the disqualifications specified in Section 7 of the Act.

(2) The Board shall inform the Central Government, if it comes to the notice of the Board that any Member has attracted the disqualifications referred to in (1) above.

[S-Admn/II/8/8007-Vol.I]

AJAY TYAGI, Secy.